XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग/1527-I-15 जिला. सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उन्हें सुना गया यह निगरानी श्रीमान् अपर न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 73/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–06–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को आराजी ग्राम मौजा दलतपुर तहसील खुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 73/1 रकवा 0.40 हेक्टेयर भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था। आवेदक के पास इसके अतिरिक्त 5 एकड़ से अधिक भूमि और भी हैं कुल भूमि में से एक एकड़ की भूमि हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा विधिवत् पूरी प्रक्रिय उपरांत बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह आवेदक के उपचार हेतु राशि की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किए जाकर प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 73/1 रकवा 0.40 हे0 (एक एकड़) के भूमि विक्रय की अनुमति चाही थी आवेदक के पास एक एकड़ भूमि के विक्रय के उपरांत भी 5 एकड़ से अधिक भूमि शेष है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 3. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि॰ आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत इलाज का लाभ प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चिकित्सा प्रमाणपत्र एवं चाही गई अनुमति के अतिरिक्त 5 एकड़ से अधिक भूमि होने बावत् खसरा तथा शपथपत्र किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि में से 73/1 रकवा 0.40 हे0 भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 1— यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2014—15 की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2— आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय चार माह के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा यह अनुमति निरस्त मानी जावेगी। सदस्य	

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर

निगरानी 1527-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. कैलाश पिता लक्खू सौर आदिवासी
2. भागवतीबाई पिता लक्खू सौर आदिवासी
3. श्रीमति रानी बेवा लक्खू सौर आदिवासी

सभी निवासी ग्राम दलपतपुर मालगुजारी तह. खुरई जिला सागर म.प्र. .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.) के प्र. क्र. 23/अ/21 वर्ष 2012 –13 में पारित आदेश दिनांक 12.06.15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा दलतपुर तहसील खुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 73/1 रकवा 0.40 हेक्टेयर भूमि जो निगरानीकर्ता को शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसमें उसे भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए थे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्तागण के नाम भूमि स्वामी स्वामित्व में दर्ज है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने के लिए काफी धन व्यय किया परंतु वह काबिल काश्त नहीं बन पाई जिस कारण से उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर के समक्ष उक्त भूमि का विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि आवेदकगणों के पास अन्य भूमि जिसका रकवा 5 एकड़ से अधिक हैं। आवेदक कैलाश की शारीरिक स्थिति ठीक न होने से उपरोक्त 1 एकड़ भमि जो कृषि योग्य नहीं हैं के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें इश्तहार तामिल कराये जाने के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुए आवेदकगणों द्वारा शपथपत्र तहसील का नोड्यूस बैंक का नोड्यूस, उपपंजीयक खुरई के